दैनिक नवज्योति Udaipur City - 04 Jan 2023 - Page 3

सैकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा

21 व 22 दिसम्बर के भी पेपर हुए थे लीक

75 डमी अभ्यर्थियों को दिलाई थी परीक्षा, तीन सरगना रिमाण्ड पर, 38 को भेजा जेल

RNS EDUCATION

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। आरपीएससी की सैकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में 21 व 22 दिसम्बर को भी 75 परीक्षार्थियों को गिरोह ने पेपर लीक कर परीक्षा दिलाई थी। यह खुलासा गिरफ्तार आरोपियों से रिमाण्ड के दौरान पूछताछ में किया। इसके बाद अदालत ने मुख्य तीन आरोपियों का रिमाण्ड तीन दिन और बढ़ा दिया, वहीं शेष 38 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार गत 23 दिसम्बर को चलती बस में सेकण्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा से पहले पेपर आउट कर अवैध राशि लेकर एक्सपर्ट के जरिए इसे सॉल्व करवाने के आरोप में पुलिस ने तीन सरगना, सात महिला अभ्यर्थियों सहित कुल 47 आरोपियों को गिरफ्तार कर बेकरिया थाने में मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को रिमाण्ड समाप्त होने पर गिरोह के तीन मुख्य आरोपी नरेश कुमार पुत्र भागीरथ राम विश्नोई निवासी आम्या का गोलिया चितलवाना जालौर, पीराराम पुत्र रघुनाथराम विश्नोई निवासी हेमा गुड़ा जालौर, सुरेश कुमार पुत्र जगदीश विश्नोई निवासी रिढीया चोरा चितलवाना हाल प्रधानाध्यापक राजस्थान प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय ठेलीया जालौर तथा अन्य आरोपियों को अपर लोक अभियोजक मुस्तकिल खान के जरिए एडीजी क्रम एक की अदालत में पेश किया गया।

रिमांड पर आरोपियों ने खुलासा किया कि 21 व 22 दिसम्बर को हुए पेपर में क्रमशः 40 व 35 फर्जी परीक्षार्थी उदयपुर जिले में परीक्षा देकर गए हैं। इस तरह पूरे प्रदेश में अन्य जिलों में कितने अभ्यर्थियों ने डमी अभ्यर्थियों के रूप में परीक्षा दी है, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार ने पेपर लीक होने के बावजूद परीक्षा को निरस्त क्यों नहीं किया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।

यूं कराए एक के बाद एक पेपर लीक

अनुसंधान अधिकारी महेंद्र पारीक ने पीठासीन अधिकारी को बताया कि रिमाण्ड में पूछताछ के दौरान सुरेश कुमार विश्नोई, पीराराम और नरेश द्वारा 20 से 24 दिसम्बर तक लगातार आपराधिक कृत्य करना सामने आया है। इसमें 20 दिसम्बर की रात को करीब 40 अभ्यर्थियों को वातड़ा होटल, दरोली के सामने परीक्षा में आने वाला पेपर पढ़ाया और बाद में 21 दिसम्बर को परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रतापनगर छोड़ना तथा 21 दिसम्बर की रात को 30 से 35 अभ्यर्थियों को गोगुंदा टोल नाके के पास ढाबे के सामने बस में ही परीक्षा में आने वाला पेपर लीक कर पढ़ाया व परीक्षा के लिए 22 दिसम्बर को भुवाणा चौराहा पर छोड़ गया। अनुसंधान अधिकारी पारीक ने अदालत में बताया कि 23 दिसम्बर को द्वितीय शिक्षक परीक्षा के लिए सुखेर स्थित होटल हिमांशी इन में 24 दिसम्बर को होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को रुकवाना व परीक्षा में आने वाला पेपर पढ़ाना सामने आया है। गिरोह के सरगना सुरेश विश्नोई, पीराराम विश्नोई व नरेश कुमार विश्नोई से गिरोह के मुख्य सरगना सुरेश ढाका व भूपेंद्र सारण के बारे में पूछताछ कर उनकी गिरफ्तारी की जानी है। साथ ही पूर्व में परीक्षा देने वाले फर्जी परीक्षार्थियों के बारे में पूछताछ कर उनकी पहचान कर गिरफ्तार करना है। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम एक के पीठासीन अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने गिरोह के सरगना नरेश कुमार, पीराराम व सुरेश को 5 जनवरी तक पुलिस रिमाण्ड पर रखने के आदेश दिए जबकि मामले में लिप्त अन्य 38 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

RNS EDUCATION

बायोमेट्रिक से खुलासा दो फर्जी परीक्षार्थी का

एसआईयू सीएडब्ल्यू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीतसिंह ने मुखबिर की सूचना पर 23 दिसम्बर को सेकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में बस में लीक पर्चे को हल करते हुए सूरता की ढाणी निवासी सुरेश पुत्र रामलाल विश्नोई को गिरफ्तार किया था, जो सुरेश के नाम पर ही परीक्षा देने आया था। सुरेश का वास्तविक नाम-पता सेवडिया निवासी गणपतलाल पुत्र प्रभुराम विश्नोई है।

इसी तरह सरजाणियों की ढाणी निवासी लूणा पुत्र ठकराराम सारण डमी अभ्यर्थी के रूप में गिरफ्तार हुआ। वास्तव में उसका नाम-पता राजीवनगर पुर जालौर निवासी अशोक पुत्र बाबूलाल सारण होना ज्ञात हुआ। इन दोनों फर्जी परीक्षार्थियों का खुलासा तब हुआ जब अंगूठे की बायोमेट्रिक जांच करवाई गई। आरोपियों ने अभ्यर्थियों के आधार कार्ड और प्रवेश कार्ड में अपना फोटो चस्पा करवा दिया ताकि वे पकड़ में नहीं आए लेकिन पुलिस की टीम ने बायोमेट्रिक के आधार पर इन दोनों फर्जी अभ्यर्थियों का खुलासा किया।

सारण व ढाका पर अब 25-25 हजार का इनाम

मामले में गिरोह के मास्टर माइंस भूपेंद्र पुत्र पाबूराम सारण और सुरेश ढाका पुत्र मांगीलाल विश्नोई की गिरफ्तारी के लिए इनके संभावित स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला है। इस पर पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार अतिरिक्त महानिदेशक अपराध शाखा राजस्थान ने दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए के इनाम घोषित किए हैं। जो भी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी करेगा या कराएगा या सूचना देगा, उन्हें यह पुरस्कार राशि दी जाएगी। बता दें कि सोमवार को पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने दोनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपए इनाम घोषित किया था।